(40)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1300–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–2–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मल्हारगंज जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 9/अ–12/2015–16.

.....

वी0एस0पी0एसोसिएट्स तर्फे प्रोप्रायटर
सुनील सिंह पित विजयसिंह परिहार
निवासी 27 सुखदेव नगर मेन,
एरोड्रम रोड, इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

सुगन रियल स्टेट पार्टनर
प्रवीण पिता कांतीलालजी कटारिया
निवासी चोमू की पुल रतलाम ..... अनावेदक

.....

श्री डी0आर0ब्यास, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मल्हारगंज जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक मल्हारगंज जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उसके

भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम नेनौद स्थित भूमि सर्वे कमांक 331/1/1 रकबा 0.405 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ–12/15–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 16–2–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नाधीन भूमि का सीमांन करने में अवैधानिकता की गई है क्योंकि वह हितबद्ध पक्षकार है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार द्वारा सूचना दिनांक 14–1–16 को जारी किया गया है जिसमें मै0आशा रियट स्टेट एवं श्री हरि सिटी मउ प्रायवेट लिमिटेड द्वारा तामील दिनांक 11–1–2016 को हस्ताक्षर किये गये हैं जो कि संभव नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि दिनांक 14–1–2016 को सूचना पत्र जारी किया गया है, तब वह दिनांक 11–1–16 को कैसे तामील हो सकता है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि फील्डबुक में कोई भी माप नहीं दर्शाई गई है कि किस माप से सीमांकन किया गया है और न ही स्थायी सीमाचिंहों से भी सीमांकन नहीं किया गया है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा सीमांकन में आवेदक को सूचना नहीं दी गई है और उसकी

अनुपस्थित में सीमांकन किया गया है । सीमांकन आदेश पारित करने के पूर्व राजस्व निरीक्षक द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का किया गया बटांकन निरस्त हो चुका है, अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः आवेदक व हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में विधिवत् सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मल्हारगंज जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर